



निर्णय सुरक्षित रखा गया : 21.11.2025

निर्णय सुनाया गया : 13.01.2026

वेबसाइट पर अपलोड किया गया: 13.01.2026



2026:AHC:7718

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या – 35779/2025

कुलदीप वर्मा

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: मृत्युंजय द्विवेदी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: आकांक्षा गौर, सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 78

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना,

1. प्रस्तुत आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक द्वारा आरोप पत्र दिनांक 08.08.2025, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ द्वारा पारित संज्ञान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश दिनांक 26.08.2025 तथा वाद संख्या 2823/2025 (राज्य बनाम कुलदीप), जो वाद अपराध संख्या 521/2025, थाना-कासी, जनपद-अलीगढ़ से उत्पन्न है, की विचारण कार्यवाही को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 69 (प्रपंचपूर्ण साधनों द्वारा यौन संबंध स्थापित करना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 352 (शांति भंग करने के आशय से जानबूझकर अपमान) तथा 351(3) (आपराधिक भयादोहन) के अंतर्गत अपराध आरोपित हैं।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय द्विवेदी, विपक्षी पक्ष संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा गौर तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राज बरन को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. विपक्षी पक्ष संख्या-2 (पीड़िता) द्वारा दिनांक 20.06.2025 को रात्रि 23:56 बजे अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पीड़िता पिछले 11 वर्षों से अभियुक्त-आवेदक के घर में निवास कर रही थी तथा उसके साथ संबंध में थी। इस अवधि के दौरान अभियुक्त-आवेदक ने विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। यह भी आरोप है कि यौन संबंध स्थापित करते समय अभियुक्त-आवेदक द्वारा उसे लात-घुँसों से मारपीट कर चोट पहुँचाई जाती थी। साथ ही, उसे धमकी दी जाती थी कि यदि वह इस संबंध में किसी को बताएगी तो उसे बदनाम कर दिया जाएगा। अभियुक्त-आवेदक ने पीड़िता को अपनी पत्नी के रूप में रखा हुआ था। दिनांक 27.05.2025 को लगभग रात्रि 9:00 बजे अभियुक्त-आवेदक ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जिससे उसके घुटने में चोट आई। इस संबंध में पीड़िता ने संबंधित थाना पर लिखित सूचना दी, जिस पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियुक्त-आवेदक ने एक लिखित समझौता किया और उसे अपने साथ रखने के लिए सहमत हुआ, किन्तु थाना से बाहर आने के पश्चात उसने पुनः उसे अपने साथ रखने से इंकार कर दिया, यह कहते हुए कि पीड़िता 'रसौली' (गर्भाशय में फाइब्रॉइड) से पीड़ित है, तथा उसे और उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फँसाने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे।

4. उपर्युक्त आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 69, 115(2), 352 एवं 351(3) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
5. धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान में पीड़िता ने कहा है कि उसकी आयु 39 वर्ष है। वर्ष 2014-15 से वह अभियुक्त-आवेदक के साथ संबंध में है। कई बार अभियुक्त-आवेदक ने उससे विवाह करने का आश्वासन दिया और उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए, किन्तु जब भी वह परिवार से बात करने को कहती थी, वह अपने माता-पिता के अस्वस्थ होने तथा बहन के विवाह का बहाना बनाकर विवाह की बात टाल देता था। इस कारण वह मानसिक रूप से व्यथित हो गई। जब वह 'रसौली' (गर्भाशय में फाइब्रॉइड) से पीड़ित थी, तब भी अभियुक्त-आवेदक ने उसका अस्पताल में उपचार कराने से इंकार कर दिया। उसने दिनांक 27.05.2025 की घटना तथा धमकी दिए जाने की बात को भी दोहराया।
6. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि प्रथम बार अभियुक्त-आवेदक ने उसे नशीला पेय पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया, तत्पश्चात विवाह के झूठे आश्वासन पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता रहा। उसने बताया कि वह अभियुक्त-आवेदक के साथ उसके घर में रहते हुए पीएच.डी. कर रही थी। वर्ष 2017-18 में उसने मंदिर में अभियुक्त-आवेदक से विवाह किया, जहाँ उसने उसके मस्तक पर सिंदूर लगाया। लगभग दो वर्ष पूर्व अभियुक्त-आवेदक ने आर्य समाज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मंदिर के विवाह प्रमाणपत्र पर भी उसके हस्ताक्षर कराए। आगे यह भी कहा कि उसकी माता द्वारा अभियुक्त-आवेदक को ₹15 लाख दिए गए थे तथा बाद में ₹10 लाख की और मांग की गई। यह भी कहा गया कि एक बार अभियुक्त-आवेदक उसे बटेश्वर ले गया, किन्तु लौटते समय उसे रास्ते में अकेला छोड़ दिया। दिनांक 18.06.2025 को अभियुक्त-आवेदक ने एक निराधार मुकदमा दर्ज कराया, जबकि दिनांक 17.06.2025 को उनके बीच समझौता हुआ था।

7. उपर्युक्त आरोपों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
8. अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि अभियुक्त-आवेदक एवं विपक्षी पक्ष संख्या-2/पीड़िता के मध्य संबंध सहमति पर आधारित थे, जैसा कि लगाए गए आरोपों से स्पष्ट है, जो वर्ष 2014 से निरंतर चले आ रहे हैं। कथित घटना स्थल अभियुक्त-आवेदक का निवास स्थान बताया गया है, जहाँ पीड़िता के अनुसार वह उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी तथा उसका विवाह भी अभियुक्त-आवेदक से हो चुका था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवाह के झूठे आश्वासन पर यौन संबंध स्थापित करने का आरोप न तो टिकाऊ है और न ही प्रथमदृष्टया स्थापित होता है, क्योंकि स्वयं पीड़िता के कथनानुसार उसका विवाह आर्य समाज मंदिर में अभियुक्त-आवेदक के साथ हो चुका था। ₹15 लाख की धनराशि स्वीकार करने के संबंध में लगाए गए आरोप के संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि उक्त आरोप का कोई आधार नहीं है, अतः यह निराधार है। अग्रिम रूप से यह निवेदन किया गया कि पीड़िता द्वारा प्रदर्शित एकमात्र चोट घुटने की चोट है, जिसके उपचार हेतु उसे आर्थोपेडिक विभाग को संदर्भित किया गया है, तथा उक्त घुटने की चोट के अतिरिक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई अन्य चोट नहीं पाई गई है, जिसे अभियुक्त-आवेदक द्वारा कारित किया जाना दर्शाया जा सके। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 29.08.2018 को पीड़िता द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, किन्तु बाद में स्वयं पीड़िता ने पुलिस को यह बयान दिया कि उसे ज्ञात हुआ कि अभियुक्त-आवेदक पूर्व से विवाहित है, अतः उसने उक्त शिकायत वापस ले ली। इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ की दिनांक 25.09.2018 की रिपोर्ट, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद अलीगढ़ को संबोधित है, में यह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता ने स्वयं यह कहते हुए शिकायत वापस ले ली कि वह अध्ययनरत है और प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उक्त रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र का अभिन्न अंग (पृष्ठ-79) है। यह भी निवेदन किया गया कि दिनांक 18.06.2025 को अभियुक्त-आवेदक द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, अलीगढ़ के न्यायालय में धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रार्थना-पत्र संख्या 75/11/2025 (कुलदीप वर्मा बनाम पूजा रानी एवं अन्य चार) के रूप में पंजीकृत है। उक्त प्रार्थना-पत्र में यह उल्लेख किया गया कि पीड़िता वर्ष 2014 से निरंतर अभियुक्त-आवेदक एवं उसके परिवार को उत्पीड़ित कर रही है, जब उसने खैर कन्या महाविद्यालय में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, जहाँ अभियुक्त-आवेदक निजी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत था। पीड़िता ने अभियुक्त-आवेदक की पत्नी से भेंट कर उससे अध्ययन में सहायता दिलाने का अनुरोध किया था। अभियुक्त-आवेदक की पत्नी के आग्रह पर ही उसे अध्ययन में सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई, किन्तु धीरे-धीरे विपक्षी पक्ष संख्या-2/पीड़िता ने अपने परिवारजनों के साथ मिलकर अभियुक्त-आवेदक को ब्लैकमेल करना प्रारंभ कर दिया तथा धन की मांग की, जिसके परिणामस्वरूप उक्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः इसके पश्चात विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.06.2025 को वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-आवेदक को इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। उन्होंने *बिस्वज्योति चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य* के निर्णय पर, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2025 को एस.एल.पी. (आपराधिक) संख्या 4261/2024 (पैरा-17) में पारित किया गया, भरोसा व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.2025, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 8743/2025 *कुमारी नेहा अनुरागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (पैरा-7)* पर भी निर्भरता व्यक्त की। दोनों उद्धरणों के प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

बिस्वज्योति चटर्जी (उपरोक्त) के वाद में:-

“17. उदय बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में न्यायालय ने अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त किया कि अभियोजन पक्ष की पीड़िता एक परिपक्व महाविद्यालयीन छात्रा थी, जिसने अपनी स्वतंत्र इच्छा से अभियुक्त के साथ यौन संबंध स्थापित किए थे। यह संभावना नहीं थी कि उसकी सहमति किसी तथ्य के भ्रान्तिपूर्ण प्रतिपादन पर आधारित थी। उदय (उपरोक्त) में न्यायालय ने यह भी अभिलिखित किया कि—

“21. इस प्रकार प्रतीत होता है कि न्यायिक मत का समन्वित दृष्टिकोण इस बात के पक्ष में है कि यदि अभियोजन पक्ष की पीड़िता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जिससे वह गहराई से प्रेम करती है, इस आश्वासन पर कि वह उससे भविष्य में विवाह करेगा, यौन संबंध स्थापित करने की सहमति देती है, तो

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐसी सहमति को तथ्य के संबंध में भ्रांति के अधीन दी गई सहमति नहीं कहा जा सकता। एक मिथ्या आश्वासन संहिता के अर्थ में 'तथ्य' नहीं है। हम इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, तथापि यह भी जोड़ना आवश्यक है कि यह निर्धारित करने हेतु कोई निश्चित या कठोर सूत्र नहीं है कि पीड़िता द्वारा यौन संबंध के लिए दी गई सहमति स्वैच्छिक थी या तथ्य संबंधी भ्रांति के अधीन थी। अंततः, न्यायालयों द्वारा निर्धारित परीक्षण (tests) केवल न्यायिक मस्तिष्क को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं; तथापि प्रत्येक वाद में न्यायालय को उपलब्ध साक्ष्यों तथा परिस्थितियों का सम्यक् मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष पर पहुँचना होगा, क्योंकि प्रत्येक वाद के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं, जो इस प्रश्न को प्रभावित कर सकते हैं कि सहमति स्वैच्छिक थी अथवा भ्रांति के अधीन दी गई थी। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक आवश्यक तत्व को सिद्ध करने का भार अभियोजन पर होता है, जिसमें सहमति का अभाव भी सम्मिलित है।”

कुमारी नेहा अनुरागी (उपरोक्त) के वाद में:-

“7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह विवादित नहीं है कि आवेदिका एवं विपक्षी पक्ष संख्या-2 के मध्य चार वर्षों तक संबंध रहे तथा यह तथ्य तहसील के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को ज्ञात था। तत्पश्चात्, जब विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने आवेदिका से विवाह करने से इंकार कर दिया, तब आवेदिका ने उप जिलाधिकारी तथा पुलिस के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। किन्तु, उप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान, आवेदिका की शिकायत पर दोनों पक्षकारों ने आपसी विवाद का निस्तारण कर लिया तथा आवेदिका ने प्रकरण को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। तहसीलदार की दिनांक 08.01.2024 की रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित होता है कि पक्षकारों के मध्य सहमति से संबंध थे तथा आवेदिका ने स्वयं विपक्षी पक्ष संख्या-2 के विरुद्ध अपनी शिकायत वापस लेने का अनुरोध किया। यद्यपि यह आरोप लगाया गया है कि प्रारंभ में विपक्षी पक्ष संख्या-2 ने छलपूर्वक आवेदिका के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए तथा तत्पश्चात विवाह का आश्वासन दिया, तथापि यह भी निर्विवाद है कि आवेदिका एक पर्याप्त लंबी अवधि तक विपक्षी पक्ष संख्या-2 के साथ संबंध में रही। यह तथ्य दर्शाता है कि यह प्रकरण आवेदिका एवं विपक्षी पक्ष संख्या-2 के मध्य सहमति पर आधारित संबंध का था, जो बाद में विपक्षी पक्ष संख्या-2 द्वारा विवाह से इंकार किए जाने के कारण समाप्त हो गया।”

9. विपरीत रूप से, विपक्षी पक्ष संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक ने पिछले 11 वर्षों से विपक्षी पक्ष संख्या-2 के साथ विवाह के मिथ्या आश्वासन पर निरंतर यौन संबंध स्थापित किए। अभियुक्त के कृत्यों के उपरांत ही विपक्षी पक्ष संख्या-2 को यह ज्ञात हुआ कि अभियुक्त-आवेदक पूर्व से ही विवाहित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विवाह का आश्वासन प्रारंभ से ही मिथ्या था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता प्रारंभ में आवेदक की वैवाहिक स्थिति से अनभिज्ञ थी तथा यह तथ्य कि आवेदक के तीन बच्चे हैं, उसे केवल प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात ज्ञात हुआ। यह भी कहा गया कि आवेदक एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीड़िता का विवाह दिनांक 24.04.2025 को आर्य समाज मंदिर में संपन्न हुआ, जिसके पश्चात दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। पीड़िता ने बार-बार विधिवत एवं सामाजिक रीति से विवाह करने का आग्रह किया, किन्तु आवेदक ने इससे इंकार कर दिया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य कभी कोई समझौता नहीं हुआ तथा दिनांक 25.09.2018 की पुलिस रिपोर्ट असत्य है। यह भी कहा गया कि पीड़िता को अभियुक्त-आवेदक द्वारा चोटें पहुँचाई गईं। दोनों के मध्य विवाह दिनांक 24.04.2025 को संपन्न हुआ है, जिसका विवाह प्रमाणपत्र विपक्षी पक्ष संख्या-2 द्वारा प्रति-शपथपत्र के साथ अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त रूप से यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त-आवेदक द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रबंध (थीसिस) में पीड़िता का नाम उसकी 'बेहतर अर्धांगिनी' के रूप में अंकित है, जो पूरक प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्न है। अतः यह निवेदन किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गुण-दोष से रहित है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

10. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।
11. वर्तमान आवेदन में विचारणीय प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या पीड़िता द्वारा अभियुक्त-आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथमदृष्टया विचारण (ट्रायल) चलाने हेतु पर्याप्त हैं, अथवा विचारण की निरंतरता विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगी?
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पीड़िता अभियुक्त-आवेदक के घर में निवास कर रही थी तथा पिछले 11 वर्षों से उसके साथ संबंध में थी। प्रारंभिक यौन संबंध पीड़िता की अचेतन अवस्था के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया था तथा

तत्पश्चात विवाह के मिथ्या आश्वासन पर संबंध बनाए गए। आगे यह भी परिलक्षित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होता है कि एक समय पर अभियुक्त-आवेदक एवं पीड़िता अलीगढ़ में एक ही घर में पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयान से भी यही तथ्य परिलक्षित होते हैं तथा पीड़िता का यह कथन है कि उसे अभियुक्त के विवाह के संबंध में जानकारी केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात ही हुई। उप पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 25.09.2018 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को प्रेषित आंतरिक विभागीय प्रतिवेदन में विपक्षी पक्ष संख्या-2 के कथन का उल्लेख है, जिसमें वह अभियुक्त के विवाह से अवगत होने की बात स्वीकार करती है तथा इसी कारण समझौता किया गया था। यद्यपि इस प्रतिवेदन का खंडन किया गया है तथा यह केस डायरी का भाग नहीं है, तथापि आवेदक द्वारा इस पर निर्भरता व्यक्त की गई है। उक्त प्रतिवेदन निम्नवत् पुनः उद्धृत किया जा रहा है:

“जांच आख्या:- उक्त संदर्भित प्रकरण की जांच के दौरान आवेदिका कुमारी पूजा रानी, पुत्री श्री मुकेश कुमार, निवासी गुलर रोड, थाना देहली गेट, जनपद अलीगढ़ ने अपने बयान में बताया कि वह लगभग 3-4 वर्ष पूर्व कस्बा खैर स्थित खैर कन्या महाविद्यालय में बी.एड. की शिक्षा प्राप्त कर रही थी। उस समय श्री कुलदीप वर्मा, पुत्र नेत्रपाल वर्मा, निवासी मोहल्ला नई बस्ती, थाना खैर भी उक्त महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उसके और कुलदीप वर्मा के बीच सिलेबस को लेकर जानकारी हेतु आपस में जान पहचान हो गई और सिलेबस के संबंध में एक-दूसरे से फोन पर वार्ता होती रही, आवेदिका अविवाहित है, जिस कारण आवेदिका और कुलदीप वर्मा के बीच आपस में शादी को लेकर नजदीकियां बढ़ना आवेदिका ने अपने बयानों में बताया परन्तु जब आवेदिका को कुलदीप वर्मा के शादी शुदा होने एवं अपने आप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को शिक्षारत होना बताते हुए है शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इस कारण अपने द्वारा दिए गए उक्त प्रार्थना पत्र पर कुलदीप वर्मा के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के संबंध में जांच के दौरान लिखित बयान दिया। जैसा कि आवेदिका के बयानों से स्पष्ट है, आवेदिका अपने द्वारा दिए गए उक्त प्रार्थना पत्र पर अब कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहती है। इस तरह आवेदिका कुमारी पूजा रानी उपरोक्त के उक्त प्रार्थना पत्र अन्य किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।”

13. धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से वर्ष 2018 में अभियुक्त-आवेदक के साथ संपन्न विवाह का उल्लेख किया है तथा विवाह प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया है।

14. अतः इन आरोपित तथ्यों को प्रथम दृष्टया ध्यान में रखते हुए, विधिक सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाना आवश्यक है।

15. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 यह उपबंधित करती है कि—

“जो कोई कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह करने का ऐसा वादा करके, जिसे पूरा करने का उसका कोई आशय न हो, किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करता है, और ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वह दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा तथा वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।”

16. धारा 69 बी.एन.एस. का यह प्रावधान दंड विधि में एक नवीन समावेशन है, जिसके अंतर्गत कपटपूर्ण साधनों द्वारा, जिसमें विवाह का झूठा वादा भी सम्मिलित है, किसी स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित करना ‘बलात्कार’ नहीं माना गया है, किन्तु इसे दंडनीय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध बनाया गया है। इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व न्यायालय, पक्षकारों के आचरण की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) तथा धारा 90 (भय या भ्रांति के अधीन दी गई सहमति) के आलोक में करते थे। धारा 69 बी.एन.एस. में 'कपटपूर्ण साधन' की व्याख्या में यह भी सम्मिलित है कि—“रोजगार या पदोन्नति का झूठा आश्वासन, प्रलोभन, अथवा अपनी पहचान छिपाकर विवाह करना।”

17. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि जब अभियुक्त-आवेदक का संपर्क विपक्षी पक्ष संख्या 2 से हुआ, उस समय वह पूर्व से ही विवाहित था। यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त-आवेदक उस महाविद्यालय में शिक्षक है, जहाँ विपक्षी पक्ष संख्या 2 बी.एड. पाठ्यक्रम कर रही है। इसके अतिरिक्त, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने अभियुक्त-आवेदक तथा अपने मध्य संपन्न विवाह का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे उनके संबंधों की गंभीरता को प्रदर्शित किया गया है तथा यह कहा गया है कि उसे अभियुक्त के विवाह के संबंध में जानकारी प्राथमिकी दर्ज कराने के पश्चात हुई। यह उल्लेखनीय है कि विवाह प्रमाण-पत्र में विवाह संपन्न होने की तिथि 24.04.2025 अंकित है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 20.06.2025 को दर्ज की गई है। विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने अपने प्रति-शपथपत्र में आर्य समाज मंदिर, आगरा द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र को परिशिष्ट संख्या CA-2 के रूप में संलग्न किया है। प्रति-शपथपत्र का संबंधित अनुच्छेद निम्नवत् पुनरुत्पादित किया जा रहा है—

कि शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 9 एवं 10 की विषयवस्तु अभिलेख के अनुसार है, अतः उस पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। तथापि यह निवेदन किया जाता है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 को आवेदक की वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं थी, न ही इस तथ्य की कि उसके तीन बच्चे हैं, और यह तथ्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपक्षी पक्ष संख्या 2 को वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात ही ज्ञात हुआ। विवाह का तथ्य विपक्षी पक्ष संख्या 2 के ज्ञान में नहीं था, इसी कारण उसने दिनांक 24.04.2025 को आर्य समाज मंदिर में आवेदक से विवाह करने के लिए सहमति प्रदान की तथा तत्पश्चात दोनों आवेदक के घर में पति-पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। विपक्षी पक्ष संख्या 2 बार-बार आवेदक से औपचारिक/सामाजिक रीति से विवाह करने का अनुरोध करती रही, किन्तु आवेदक ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। चूंकि आवेदक एवं विपक्षी पक्ष संख्या 2 के मध्य संबंध 10 वर्षों से अधिक समय से थे, अतः निरंतर उत्पीड़न एवं इंकार के बावजूद भी वह आवेदक, जो उसका कथित पति था, को छोड़ नहीं सकी। आर्य समाज मंदिर, आगरा द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण-पत्र की प्रति इस शपथपत्र के साथ संलग्न की जा रही है तथा इसे **परिशिष्ट संख्या C.A.-2** के रूप में अंकित किया गया है।”

18. उपर्युक्त अनुच्छेद के प्रत्युत्तर में आवेदक ने मात्र यह कहा है कि उक्त प्रमाण-पत्र कपटपूर्ण (फर्जी) है तथा वह उपर्युक्त समय पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 एवं 340 के अंतर्गत समुचित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा। आगे यह भी कहा गया है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 के दो भिन्न कथन एक साथ नहीं चल सकते, अर्थात् एक ओर विवाह के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध स्थापित करने का आरोप और दूसरी ओर पक्षकारों के मध्य विवाह होने का दावा। पुनः शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 5 का प्रासंगिक अंश निम्नवत् है—

“5. कि प्रति-शपथपत्र के अनुच्छेद संख्या 6 की विषयवस्तु स्वीकार नहीं की जाती है। प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया जाता है कि समर्थन में दायर शपथपत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुच्छेद संख्या 9 एवं 10 की विषयवस्तु पुनः प्रतिपादित की जाती है। यह भी निवेदन किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने यह कहा है कि संबंध झूठे विवाह के वादे के आधार पर स्थापित किया गया था, जबकि उसी ने एक दस्तावेज संलग्न किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उसका आवेदक से विवाह हुआ है, जबकि दिनांक 24.04.2025 का उक्त दस्तावेज मिथ्या, तुच्छ एवं मनगढ़ंत है, जिसके संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 एवं 340 के अंतर्गत कार्यवाही पृथक से प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह मामला झूठे विवाह के वादे का है या विवाह उपरांत उत्पीड़न का, क्योंकि दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते, चूंकि दोनों एक-दूसरे के विपरीत हैं।”

19. यद्यपि आरोप-पत्र बलात्कार के अपराध के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथापि न्यायहित में यह उपयुक्त होगा कि धारा 63 बी.एन.एस. के प्रावधान को धारा 64(2)(f) बी.एन.एस. के साथ पढ़ा जाए। धारा 63 बी.एन.एस. में विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख है, जो बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, जिसमें उपधारा (iv) यह प्रावधान करती है कि—“उसकी सहमति से, जब पुरुष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इस विश्वास के कारण दी गई है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिससे वह विधिवत विवाहित है या स्वयं को विवाहित मानती है।”

20. यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि धारा 120 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कुछ विशेष अभियोजनों में सहमति के अभाव के संबंध में एक विधिक अनुमान प्रदान करती है। यह अनुमान केवल उन परिस्थितियों में लागू होता है, जो धारा 64(2)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी.एन.एस. के अंतर्गत वर्णित हैं, जहाँ पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बल का सदस्य आदि द्वारा किए गए बलात्कार के अपराध का उल्लेख है। इसी श्रेणी में उपधारा (2)(f) के अंतर्गत शिक्षक, अभिभावक, रिश्तेदार अथवा किसी महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में स्थित व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य भी सम्मिलित है। उक्त अनुमान का आशय यह है कि जब अभियुक्त द्वारा यौन संबंध स्थापित किया जाना सिद्ध हो जाए और यह प्रश्न उठे कि क्या वह महिला की सहमति से था या नहीं, तथा पीड़िता न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करे कि उसने सहमति नहीं दी थी, तब न्यायालय यह मान लेगा कि सहमति का अभाव था।

21. यहाँ भी धारा 69 बी.एन.एस. यह प्रावधान करती है कि छलपूर्वक साधनों का प्रयोग कर तथा विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध स्थापित करना दंडनीय है, और विवाह का झूठा वादा भी छलपूर्ण साधनों में सम्मिलित है। **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 SCC 608** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'ऐसा झूठा वादा, जो प्रारंभ से ही उसे तोड़ने के इरादे से किया गया हो' और 'ऐसा वादा, जो सद्भावना में किया गया हो लेकिन बाद में पूरा न हो सके'—इन दोनों के बीच स्पष्ट अंतर किया है। पहला प्रकार ही सीधे तौर पर दंडनीय प्रावधानों को आकर्षित करता है।

22. वर्तमान वाद में प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त-आवेदक को प्रारंभ से ही यह ज्ञात था कि वह विपक्षी पक्ष संख्या 2 से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले से ही विवाहित था। यह विचारण का विषय है कि साक्ष्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाए कि क्या विपक्षी पक्ष संख्या 2/पीड़िता को आवेदक की वैवाहिक स्थिति की जानकारी थी और इसके बावजूद उसने उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए, जो लगभग ग्यारह वर्षों तक जारी रहे। प्रथमदृष्टया तथ्यों के आधार पर यह न्यायालय आरोपपत्र एवं कार्यवाही को निरस्त करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं पाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निराधार पाया जाता है और निरस्त किया जाता है।

23. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

दिनांक:- 13.01.2026

शरद/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।